

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 116 / 2016

तारीख रजु 29.07.2016

उनवान

शरीफ खां पुत्र सत्तार खां जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

-----वादी

बनाम

अन्नू पुत्र मुनेदार जाति मुसलमान वगैरहा निवासी ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

-----प्रतिवादी (05)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री मुरारि लाल करसौलिया एडवोकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :-रमेश चंद गुप्ता एडवाकेट।


निर्णय

दिनांक 13.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतच एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 758,के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 116/2016 शरीफ बनाम अन्नू अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

